अनुदान संख्या 41 - भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
GRANT No. 41–INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*36,04,00*		*38,51,00*	*31,18,43*	*–7,32,57*
पूरक	*Supplementary*	*2,47,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*1,00,58*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1170,48,00		1174,63,00	1131,31,88	–43,31,12
पूरक	Supplementary	4,15,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					41,37,87
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	8,00,00		9,58,00	7,53,42	–2,04,58
पूरक	Supplementary	1,58,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,81,05

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें *(732.57 लाख रु.)* मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए *247.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत *विनियोग* का 19 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings *(Rs.732.57 lakhs)* exceeded the supplementary *appropriation* of *Rs.247.00 lakhs* obtained in March, 2006 and constituted 19 percent of the total sanctioned *appropriation.*

Savings occurred under the following major head:-

			कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2016"	Major Head "2016"				
लेखा परीक्षा	Audit				
मू.	*O.*	*3604.00*			
पू.	*S.*	*247.00*	*3750.42*	*3118.43*	*–631.99*
पु.	*R.*	*–100.58*			

(I) *"भारत के नियंत्राक महालेखापरीक्षक"* के अंतर्गत -

(i) *"मुख्यालय कार्यालय"- 3118.00 लाख* रु. के मूल *विनियोग* को *246.00 लाख* रु. का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *3364.00 लाख* रु. कर दिया गया। तथापि, *262.70 लाख* रु. की बचत (पूरक *विनियोग* सहित) हवाई यात्राा के लिए छूट प्राप्त किए जाने, अदायगी में बातचीत किए जाने, नोएडा प्राधिकारियों से आकलन के प्रतीक्षित होने, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के मुद्रण से संबंधित बिल की प्राप्ति न होने और कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ii) *"यू.एन. लेखापरीक्षा कार्यालय"- 468.50 लाख* रु. की बचत (*471.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) इस कारण से हुई कि आंकड़ों का समाधान न होने की वजह से व्यय लेखाबद्ध नहीं किया जा सका था। अब इसका समाधान कर लिया गया है।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (4331.12 लाख रु.) दिसंबर, 2005 और मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 415.00 लाख रु. के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(I) Under "*Comptroller and Auditor General of India*" -

(i) *"Headquarters Office"* - the original *appropriation* of *Rs.3118.00 lakhs* was augmented to *Rs.3364.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.246.00 lakhs.* However, there was a saving of *Rs.262.70 lakhs* (including supplementary *appropriation*) due to concession obtained for air travel, negotiation in payment, awaiting assessment from Noida Authorities, non-receipt of bill printing for Audit Report and non-finalisation of some proposals.

(ii) "*U.N. Audit Office*" - saving of *Rs.468.50 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.471.00 lakhs*) was due to reason that expenditure could not be accounted for in the absence of reconciliation of figures. This has since been reconciled.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.4331.12 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.415.00 lakhs obtained in December, 2005 and March, 2006 and constituted 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2016'' लेखा परीक्षा	Major Head "2016" Audit				
मू.	O.	117048.00			
पू.	S.	415.00	113325.13	113131.88	–193.25
पु.	R.	–4137.87			

(I) ''सिविल लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालय'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय'' - 54423.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 181.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 54604.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 2515.45 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) वेतन, बोनस, छुट्‌टी यात्राा रियायत और परिवहन भत्ते पर कम व्यय होने, किफायती उपाय किए जाने, लेखापरीक्षा दलों के कम दौरे होने, देहरादून और रांची में नवस्थापित महालेखाकार कार्यालयों में कर्मचारियों के स्थानांतरण पर कम व्यय होने और हवाई यात्राा पर रियायत प्राप्त किए जाने और कर आकलन प्रतीक्षित होने के कारण हुई।

(खा) ''सिविल लेखा कार्यालय'' - 45493.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 185.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 45678.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 2366.62 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) वेतन, दौरा कार्यक्रमों पर कम व्यय होने, कर आकलन प्रतीक्षित होने और कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) ''रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय'' - 204.56 लाख रु. की बचत (2426.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, बोनस, छुट्‌टी यात्राा रियायत और परिवहन भत्ते पर कम व्यय होने, किफायती उपाय किए जाने और कर आकलन प्रतीक्षित होने के कारण हुई।

(I) Supplementary grant obtained under "Civil Audit and Accounts Offices" remained wholly unutilised under the following heads:-

(A) "Civil Audit Offices" - the original provision of Rs.54423.00 lakhs was augmented to Rs.54604.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.181.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.2515.45 lakhs (including supplementary grant) due to less expenditure on salaries, bonus, leave travel concession and transport allowance, economy measures, less tour of Audit Parties, less expenditure on transfer of staff to the newly created Accountant Generals Offices at Dehradun and Ranchi and concessions obtained on air travel and awaited tax assessment.

(B) "Civil Accounts Offices" - the original provision of Rs.45493.00 lakhs was augmented to Rs.45678.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.185.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.2366.62 lakhs (including supplementary grant) due to less expenditure on salaries, tour programmes, awaited tax assessment, and non-finalisation of some proposals.

(II) "Defence Audit Offices" - saving of Rs.204.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2426.00 lakhs) was due to less expenditure on salaries, bonus, leave travel concession and transport allowance, economy measures and awaited tax assessment.

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईः-

(I) "डाक और दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालय" - 195.31 लाख रु. का अधिक व्यय (4.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 3314.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, बोनस, छुट्टी यात्राा रियायत और परिवहन भत्ते पर अधिक व्यय होने, दैनिक मजदूरी की दरों में वृद्धि होने, चिकित्सा मामलों के संदर्भों को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मान्यता प्राप्त अस्पतालों को भेजे जाने और अधिकारियों के अधिक दौरा कार्यक्रम किए जाने के कारण हुआ।

(II) "रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय"- 424.39 लाख रु. का अधिक व्यय (7.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 5497.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मजदूरी पर अधिक व्यय होने, दैनिक मजदूरी की दरों में वृद्धि होने, चिकित्सा मामलों के संदर्भ केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मान्यताप्राप्त अस्पतालों को भेजे जाने, अधिक दौरा कार्यक्रमों के होने, विद्युत और जल प्रभारों में वृद्धि होने, माडुलर फर्नीचर खरीदे जाने, कंप्यूटरों, फोटोकापियर मशीनों की वार्षिक अनुरक्षण संविदा, परामर्शी शुल्कों और परीक्षकों एवं निरीक्षकों के पारिश्रमिक की अदायगी के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (204.58 लाख रु.) मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 158.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

3. The above savings were partly offset by excess under the following heads:-

(I) "Posts and Telecommunications Audit Offices" - excess of Rs.195.31 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.3314.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.4.00 lakhs) was due to more expenditure on salaries, bonus, leave travel concession and transport allowance, increase in daily wage rates, references of medical cases to Central Government Health Scheme recognised hospitals and undertaking of more tour programmes of the officers.

(II) "Railway Audit Offices" - excess of Rs.424.39 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.5497.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.7.00 lakhs) was due to more expenditure on wages, increase in daily wage rates, references of medical cases to Central Government Health Scheme recognised hospitals, undertaking of more tour programmes, increase in electricity and water charges, purchase of modular furniture, annual maintenance contract of computers, photocopier machines, additional requirement of funds for payment of consultancy fees and remuneration to examiners and invigilators.

4. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.204.58 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.158.00 lakhs obtained in March, 2006 and constituted 21 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	250.00	149.21	149.20	–0.01
पु.	R.	–100.79			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	550.00			
पू.	S.	158.00	627.74	604.22	–23.52
पु.	R.	–80.26			

(I) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास स्कीम - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण" के अंतर्गत 550.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 158.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 708.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, अहमदाबाद में क्वार्टरों के संबंध में केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठनों द्वारा कुछ निर्माण कार्यों को पूरा न किए जाने के कारण 103.78 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय - तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण" के अंतर्गत 100.80 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) देहरादून में सरकार के साथ भूमि की सौदेबाजी के मूर्तरूप न लेने की वजह से नगरपालिका विकास विभाग, देहरादून को कम अदायगी किए जाने और और भुवनेश्वर में उड़ीसा की सरकार के साथ वैकल्पिक भूमि को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Housing Schemes for Employees of IA & AD - Acquisition of ready built flats" - the original provision of Rs.550.00 lakhs was augmented to Rs.708.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.158.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.103.78 lakhs - due to non-completion of some works by the Central Government Employees Welfare Housing Organisations in respect of quarters at Ahmedabad.

(II) Under Major Head "4059" - "Office Buildings - Other Expenditure - Acquisition of ready built Accommodation" - saving of Rs.100.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to less payment to Municipal Development Department, Dehradun on account of non-materialisation of swapping of land at Dehradun and non-finalisation of alternate land with Government of Orissa at Bhubneshwar.